

463
2025

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. सुखाड़ मल दत्तक पुत्र खेमचन्द यादव जाति अहीर निवासी मोहनपुरा उर्फ खरखडा तहसील पाटन जिला सीकर राज0।

-प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार पाटन जिला सीकर राज.।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर 463/2025
जीसीएमएस नं0 2025/850

आदेश

दिनांक 30.7.25

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पाटन एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम मोहनपुरा उर्फ खरखडा पटवार हल्का बल्लूपूरा तहसील पाटन के खाता संख्या 240, 229, 179, 104, 87, 4, 32, 312, 289, 243 में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम "सुखाराम उर्फ सुखाड़िया दत्तक पुत्र खेमा/खेमाराम" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "सुखाड़ मल दत्तक पुत्र खेमचन्द" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार पाटन आदेश का भाग समझा जावें। उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

मुद्रा

(राजपीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना